न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 3613 सन 2026

CNR No. UPSP 01008366202

आशीष शर्मा उर्फ गागू पुत्र स्व0 सुरेश शर्मा, निवासी नाला पटरी, किशनपुरा, थाना कोतवाली नगर, जिला सहारनपुर।

हाल निवासी–ग्राम सडक दूधली, जनता रोड, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।

..................प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य । **.....................विपक्षी।**

मुकदमा अपराध संख्या–194/2026
धारा–4/25 आयुध अधिनियम व 10 गुण्डा अधि0
थाना–कोतवाली नगर, जिला सहारनपुर।

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र</u>

20.08.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **<u>आशीष शर्मा उर्फ गागू</u>** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक **09.08.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ सुनीता शर्मा पत्नी स्व0 सरेश शर्मा का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है। अभियुक्त के पूर्व में अन्य मुकदमें विचाराधीन हैं, जिनमें अभियुक्त जमानत पर है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.08.2026 को उपनिरीक्षक राकेश मय हमराह वास्ते शान्ति व्यवस्था डियूटी रपट नम्बर–30 सयम 12:10 बजे रवाना होकर चौकी क्षेत्र किशनपुरा में मामूर थे। गस्त करते हुए जयलोक होटल से आगे प्रभात सिनेमा के नजदीक पहचें तो प्रथात सिनेमा पार्किंग गेट के सामने सडक पर खडा एक व्यक्ति देखकर पार्किंग के अंदर तेज से चलने लगा, शक होने पर एकदम से जल्दी करते हुये एकबारगी दबिश देकर घेर–घोटकर उस व्यक्ति को बिना भागने का मौका दिए पकड़ लिया, पकडे हुए व्यक्ति ने अपना नाम **आशीष शर्मा उर्फ गागू पुत्र स्व0 सुरेश शर्मा बताया, जिसकी जामा तलाशी से पहनी पैन्ट के पीछे उडसा हुआ एक अदद छुरा बरामद हुए**। उक्त व्यक्ति से नाजायज छुरा रखने का लाईसेन्स तलब किया तो दिखाने से कासिर रहा और माफी मांगते हुए कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ रखता हूं। थाना कार्यालय से जानकारी करने पर पता चला कि उक्त व्यक्ति थाने का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर है और वर्तमान में जिलाबदर चल रहा है। अभियुक्त से बरामद नाजायज छुरा के आधार पर जुर्म से अवगत कराते हुये हिरासत पुलिस मे लिया गया। बरामद छुरा को अलग कपड़े मे रखकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया। उक्त फर्द के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि वाद उपरोक्त में उसको पुलिस ने रंजिशन के आधार पर झूठा फंसाया है, वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है उससे झूठा छुरा बरामद किया गया है। वाद उपरोक्त में घटना का कोई भी साक्षी जनता का नही है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी तथा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध निम्नलिखित आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं:–

क.स	अभियुक्त	पिता का नाम	मु.अ.सं	धारा	थाना	जिला	वर्तमान स्थिति
1.	अशीष शर्मा उर्फ गागू	स्व0 सुरेश शर्मा	254/2021	379,411 भा0दं0सं0	सदर बाजार	सहारनपुर	जमानत पर
2.	अशीष शर्मा उर्फ गागू	स्व0 सुरेश शर्मा	06/2020	8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट	कोतवाली नगर	सहारनपुर	जमानत पर
3.	अशीष शर्मा उर्फ गागू	स्व0 सुरेश शर्मा	71/2023	60 आबकारी अधि0	कोतवाली नगर	सहारनपुर	जमानत पर
4.	अशीष शर्मा उर्फ गागू	स्व0 सुरेश शर्मा	194/2018	392,411 भा0दं0सं0	कोतवाली नगर	सहारनपुर	जमानत पर

5.	अशीष शर्मा उर्फ गागू	स्व0 सुरेश शर्मा	217/2018	379,411 भा0दं0सं0	कोतवाली नगर	सहारनपुर	जमानत पर
6.	अशीष शर्मा उर्फ गागू	स्व0 सुरेश शर्मा	221/2016	380,411 भा0दं0सं0	कोतवाली नगर	सहारनपुर	जमानत पर
7.	अशीष शर्मा उर्फ गागू	स्व0 सुरेश शर्मा	226/2020	60/63 आबकारी अधि0	कोतवाली नगर	सहारनपुर	जमानत पर
8.	अशीष शर्मा उर्फ गागू	स्व0 सुरेश शर्मा	244/2016	380,411 भा0दं0सं0	कोतवाली नगर	सहारनपुर	जमानत पर
9.	अशीष शर्मा उर्फ गागू	स्व0 सुरेश शर्मा	280/2016	2/3 गैंगस्टर एक्ट	कोतवाली नगर	सहारनपुर	जमानत पर
10.	अशीष शर्मा उर्फ गागू	स्व0 सुरेश शर्मा	288/2018	2/3 गैंगस्टर एक्ट	कोतवाली नगर	सहारनपुर	जमानत पर
11.	अशीष शर्मा उर्फ गागू	स्व0 सुरेश शर्मा	303/2022	403,411 भा0दं0सं0	कोतवाली नगर	सहारनपुर	जमानत पर
12.	अशीष शर्मा उर्फ गागू	स्व0 सुरेश शर्मा	308/2022	379,411 भा0दं0सं0	कोतवाली नगर	सहारनपुर	जमानत पर
13.	अशीष शर्मा उर्फ गागू	स्व0 सुरेश शर्मा	322/2017	25 आयुद्ध अधि0	कोतवाली नगर	सहारनपुर	जमानत पर
14.	अशीष शर्मा उर्फ गागू	स्व0 सुरेश शर्मा	163/2021	307,411,420,465,467,468,471 भा0दं0सं0	कोतवाली नगर	सहारनपुर	जमानत पर
15.	अशीष शर्मा उर्फ गागू	स्व0 सुरेश शर्मा	168/2021	4/25 आयुद्ध अधि0	जनकपुरी	सहारनपुर	जमानत पर
16.	अशीष शर्मा उर्फ गागू	स्व0 सुरेश शर्मा	43/2024	8/20 एनडी0पी0एस0एक्ट	कोतवाली नगर	सहारनपुर	जमानत पर
17.	अशीष शर्मा उर्फ गागू	स्व0 सुरेश शर्मा	194/2026	4/25 आयुद्ध अधि0	कोतवाली नगर	सहारनपुर	जमानत पर

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस पार्टी द्वारा पकड़े जाने पर उसके कब्जे से एक अदद छुरा बरामद होने तथा हिस्ट्रीशीटर होने के कारण जिलाबदर होने का आक्षेप है। फर्द बरामदगी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफतार किया जाना तथा उसके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी होना अभिकथित है, परन्तु कथित गिरफतारी एवं बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जन साक्षी होना अभिकथित नही है। कथित अपराध मजिस्ट्रेट, न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व आपराधिक इतिहास में दर्शित अन्य 17 मुकदमों में आवेदक/अभियुक्त की ओर से स्वंय को जमानत पर होने का कथन किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 09.08.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवदेक/अभियुक्त **आशीष शर्मा उर्फ गागू** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता हैं। अभियुक्त द्वारा अंकन 25,000/–रूपये का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

(सतेन्द्र कुमार)

दिनांकः–20.08.2026 **सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर**

I.D. UP-1891